ग्राम पंचायत जेजवीं, विकास खण्ड झण्डूता, तह• झण्डूता, जिला बिलासपुर, हि• प्र• – 174017 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018

भाग–एक

1. (क) प्रस्तावना :–

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र•, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत जेजवीं, विकास खण्ड झण्डूता, जिला बिलासपुर के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत थे :–

प्रधान :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्री राजेश कुमार	01.04.2015 से 22.01.2016
2	श्रीमति रीना देवी	23.01.2016 से 31.03.2018

सचिव :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्री कर्मदयाल शर्मा	01.04.2015 से 31.03.2018

तकनीकी सहायक :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्री सपना ठाकुर	01.04.2015 से 31.03.2018

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्री बलजिन्द्र सिंह	01.04.2015 से 31.03.2018

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत जेजवीं, विकास खण्ड झण्डूता जिला बिलासपुर के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 के लेखाओ के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र•	पैरा सं•	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	12	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	1.43
2	13	अनुदान का उपयोग न करना	3.93
3	16	बिना उचित बिलों के किया गया संदिग्ध व्यय	6.94
4	17	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना क्रय	5.64
5	24	निर्माण कार्य के निष्पादन में गलत मूल्यांकन (Assessment) करके किया गया अधिक व अनियमित भुगतान	0.77
6	25	निर्माण कार्यों के निष्पादन में निर्माण सामग्री की मानक प्रमात्रा से अधिक खपत करना	0.15

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत जेजवीं, विकास खण्ड झण्डूता, जिला बिलासपुर के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 के लेखाओं का प्रथम एव वर्तमान अंकेक्षण श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, अनुभाग अधिकारी तथा श्री पुनीत शर्मा, आर्टीकल सहायक द्वारा दिनांक 04/05/2018 से 14/05/2018 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 10/2015, 12/2016, 05/2017 व 07/2015, 05/2016, 04/2017 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी अनुच्छेदों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत जेजवीं, विकास खण्ड झण्डूता, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2015 से 03/2018 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹10800 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं• अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2018/– 104 दिनांक 09/05/2018 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि हि. प्र. रा. स. बैंक जेजवीं के मल्टीसिटि चैक संख्या 081713 दिनांक 14–05–2018 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4. वित्तीय स्थिति :–

पंचायत सचिव़ द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2018/–80 दिनांकः 19/04/2018 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4×5)
1	2	3	4	5	6
2015–16	204822	13582726	13787548	13578094	209454
2016–17	209454	12042622	12252076	11259215	992861
2017–18	992861	19751673	20744534	20351962	392572

वित्तीय स्थिति पर अंकेक्षण टिप्पणियांः–

1. चूंकि ग्राम पंचायत, जेजवीं द्वारा रोकड़ बहियों में नियमानुसार अन्तशेषों की गणना नहीं की गई है और न ही बैंक समाधान विवरणी तैयार की गई है। अतः वित्तीय स्थिति हेतु आरम्भिक शेष बैंक खातों के आधार पर लिए गए हैं।
2. ग्राम पंचायत, जेजवीं द्वारा नरेगा तथा हरियाली परियोजना के अतिरिक्त समस्त आय व्यय का लेखांकन खाता ''क व ख'' की संयुक्त रोकड़ बही में ही किया जा रहा है परन्तु इससे सम्बधित लैजर तथा वर्गीकृत सार का अनुरक्षण नहीं किया गया है। इस कारण से पंचायत के स्व–स्त्रोतों से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति तैयार नहीं की जा सकी है।
3. लैजर तथा वर्गीकृत सार के अभाव में स्व–स्त्रोतों का पूर्ण विवरण तैयार करना व इसकी विस्तृत जांच करना सम्भव नहीं हो सका है। अंकेक्षणावधि में स्व–स्त्रोतों से सम्बन्धित मात्र उन्हीं आंकड़ों की जाँच की गई है जो कि पंचायत द्वारा खाता ''क व ख'' की संयुक्त रोकड़ बही में दर्ज किए गए थे।

5. बैंक समाधान विवरणीः–

ग्राम पंचायत, जेजवीं की रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2018 को ₹3,92,572 के अन्तशेष तथा बैंक खातों में जमा राशि से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः– **(विवरण परिशिष्ट "2" पर)**

क्र	खाता			अन्त शेष (₹)
	रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय स्थितिः–			
1	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार (पैरा 4)			392572
	बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेषः–			
	विवरण	**बैंक**	**खाता**	
1	खाता 'क' व 'ख'	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक जेजवीं	12610101011	61878
2		हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक जेजवीं	12610101013	386121
3		हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक जेजवीं	12610106487	2184
4		हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक जेजवीं	12610106486	1051
5		हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक जेजवीं	12610105210	0
6		हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक जेजवीं	12610105211	0
7	हरियाली	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक जेजवीं	12610100974	0
8	हरियाली लाभार्थी अंशदान	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक जेजवीं	12610100975	49643
9	नरेगा	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक जेजवीं	12610101291	0
10	खाता 'क' व 'ख' की संयुक्त रोकड़ बही में दर्शाया गया हस्तगत शेषः			1869
	कुल योग (ख):			**502746**
	अन्तर			**110174**
	बैंक समाधान विवरणीः–			
	रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेषः–			**392572**
	जमाः–			
1.	दिनांक 23.01.2018 को रोकड़ बही के पृष्ठ 133 पर दर्ज ₹21381 के आर. टी. जी. एस. अन्तरण के स्थान पर बैंक द्वारा वास्तव में दिनांक 02.02.2018 को मात्र ₹2138 ही अन्तरित किए गए हैं जिस कारण ₹19243 का अन्तर आया हैः–			19243

2.	दिनांक 26.03.2018 को रोकड़ बही के पृष्ठ 141 पर दर्ज ₹67100 का आर. टी. जी. एस. अन्तरण बैंक द्वारा दिनांक 31.03.2018 तक नहीं किया गया है:–	67100
3.	दिनांक 26.03.2018 को रोकड़ बही के पृष्ठ 141 पर दर्ज ₹23831 का आर. टी. जी. एस. अन्तरण बैंक द्वारा दिनांक 31.03.2018 तक नहीं किया गया है:–	23831
	पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2018 का अन्तशेष	502746

6. नियमविरूद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का निर्माण करने बारे:–

हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किए जाने का प्रावधान है। परन्तु पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वर्तमान में तीन अलग – अलग रोकड़ बहियों का अनुरक्षण किया गया है। अतः नियमों के विरूद्ध एक के स्थान पर अनुरक्षित इन तीन रोकड़ बहियों बारे उचित स्पष्टीकरण सहित भविष्य के लिए इन अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए।

7. लैजर खातों का निर्माण नियमानुसार न करना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार पंचायत में चलाई जा रही समस्त योजनाओं के लिए फॉर्म 7 में लैजर खातों का निर्माण किया जाना अपेक्षित था। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इन नियमों की अनुपालना उचित तरीके से नहीं की गई है। प्रत्येक योजना के लिए लैजर बनाए जाने का उद्देश्य किसी भी समय तुरन्त योजना विशेष के सन्दर्भ में वित्तीय स्थिति तथा उपलब्ध अन्तशेष की जानकारी की उपलब्धता है। ग्राम पंचायत जेजवीं द्वारा लैजर तो बनाए गए हैं परन्तु इन्हें परियोजना विशेष के स्थान पर निर्माण कार्य विशेष के आधार पर ''निर्माण कार्य रजिस्टर'' (Works Register) की तरह तैयार किया गया है जो कि अनुचित है तथा इन लैजर खातों को अनुरक्षित करने के उद्देश्य को पूर्ण नहीं करता है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन लैजर खातों का निर्माण नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

8. नियमानुसार बैंक समाधान विवरणी को प्रतिमाह तैयार न करना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10(1) तथा रोकड़ बही के लिए इन नियमों में प्रावधित ''प्रारूप–5'' के आरम्भ

में दी गई टिप्पणी के अनुसार पंचायतों की रोकड बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य है। परन्तु ग्राम पंचायत, जेजवीं के लेखाओं की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

9. वर्गीकृत सार को तैयार न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए, एक आय तथा एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु साथ ही आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

10. नियमानुसार निवेश न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Funds) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है जिससे इन पर ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को ब्याज के रूप में होने वाले अतिरिक्त लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप–1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। अतः भविष्य में

नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार इस रजिस्टर का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए।

11. बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना :–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप –11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

12. पंचायत राजस्व ₹1.43 लाख का वसूली हेतु शेष :–

पंचायत सचिव़ द्वारा प्रस्तुत सूचना तथा पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2018 तक पंचायत के राजस्व की ₹142690 वसूली हेतु शेष थी।

1. **गृहकर :** पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2015–16 में 855 के लिए दर ₹10 प्रति परिवार तथा 2016–17 व 2017–18 में 1006 परिवार, दर ₹100 प्रति परिवार प्रतिवर्ष

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2015–16	0.00	8550.00	8550.00	40.00	8510.00
2016–17	8510.00	100600.00	109110.00	80020.00	29090.00
2017–18	29090.00	100600.00	129690.00	10000.00	119690.00

2. **मोबाईल टावर :–** पंचायत क्षेत्र में स्थापित मात्र एक ही मोबाईल टॉवर बी. एस. एन. एल. द्वारा नवम्बर 2009 में स्थापित किया गया था परन्तु आज तक इसके लिए न तो स्थापना शुल्क की वसूली की गई है और न ही वार्षिक नवीनीकरण शुल्क वसूल किया गया है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 तथा सचिव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के कार्यालय पत्र संख्याः पी.सी.एच. (2)8/99 दिनांक 09.11.2006 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायत को अपने क्षेत्र में स्थापित मोबाइल टॉवर से ₹4000 वर्ष 2016 तक स्थापना शुल्क तथा ₹2000 प्रतिवर्ष नवीनीकरण शुल्क प्राप्त करने का अधिकार है जबकि वर्ष 2017 से हिमाचल प्रदेश सरकार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डिर्पाटमैन्ट ऑफ इनफॉर्मेशन एण्ड टैक्नॉलॉजी) की अधिसूचना संख्याः डीआईटी• डेव–(आई टी)2005 (मिस)–96 दिनांक 21.06.2017 के अनुसार यह दरें ₹4000 तथा ₹2000 के स्थान पर क्रमशः ₹10000

तथा ₹5000 के लिए बढ़ा दी गई हैं। अतः निम्नलिखित तालिका में दिए विवरणानुसार इस मद में कुल ₹23000 की वसूली योग्य शेष हैः–

वर्ष 2009 में ₹4000 की दर से प्राप्य स्थापना शुल्क	₹4000
वर्ष 2010 से 2016 तक ₹2000 की दर से नवीनीकरण शुल्क	₹14000
वर्ष 2017 के लिए ₹5000 की दर से नवीनीकरण शुल्क	₹5000
कुल योग	₹23000

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

13. अनुदान ₹3.93 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1** पर संलग्न है के अनुसार दिनांक 31–03–2018 तक प्राप्त अनुदानों से ₹3,92,572 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था। अतः अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान की राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

14. निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखनाः–

पंचायत की रोकड बहियों की चयनित माह हेतु अंकेक्षण जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जो कि हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। निम्न तालिका में अंकेक्षणावधि के दौरान मासान्त में निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत शेष के कुछ प्रकरण उद्धृत किए गए हैं। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र	दिनांक	रो. ब. पृष्ठ	सीमा से अधिक रखी गई राशि
	खाता 'क व ख' रोकड़ बहीः		
1	22.08.2015	10	1402.00
2	30.09.2015	12	1402.00
3	26.10.2015	18	1290.00

4	30.11.2015	21	1290.00
5	28.01.2016	26	1367.00
6	23.02.2016	26	1367.00
7	31.03.2016	32	1867.00
8	27.02.2017	65	1063.00
9	21.08.2017	108	1403.00
10	31.10.2017	117	1700.00
11	26.11.2017	121	1528.00
12	25.01.2018	134	1328.00
13	26.02.2018	139	1369.00
14	31.03.2018	142	1869.00

15. ₹1000 से अधिक की राशियों का नकद भुगतान करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17(1 व 2) के अनुसार ₹1000 तक का ही भुगतान नकद रूप में किया जा सकता है तथा इससे अधिक का भुगतान चैक द्वारा ही किया जाना अपेक्षित है। पंचायत के लेखाओं की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि अंकेक्षणावधि के दौरान बहुत से भुगतान नकद रूप में किए गए प्रतीत होते हैं क्योंकि अधिकतर प्रकरणों में कई–कई भुगतानों के लिए बैंक आहरण सामूहिक रूप से एक ही चैक द्वारा किया गया है जिससे स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न सेवा प्रदाताओं/आपूर्तीकर्ताओं को भुगतान नकद रूप में किया गया था। अंकेक्षण जांच के दौरान सामने आए ₹3,18,300 के सम्भावित अनियमित नकद भुगतान के कुछ प्रकरण निम्न तालिका में उद्धृत किए गए हैं। अतः नियमों के विपरीत इस प्रकार नकद भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही कार्यवाही/भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र	दिनांक	खाता संख्या	चैक संख्या	आहरित राशि	आहरणकर्ता
1	15.09.2015	974	467523	76000	श्री कर्म दयाल, सचिव
2	04.03.2016	1013	92454	61900	श्रीमति रीना देवी, प्रधान
3	31.03.2016	1013	92462	75000	श्री कर्म दयाल, सचिव
4	30.05.2016	1013	92474	80400	श्रीमति रीना देवी, प्रधान
5	24.04.2017	1013	112072	25000	श्री कर्म दयाल, सचिव
		कुल योग		**₹318300**	

16. बिना उचित बिलों के ₹6.94 लाख का संदिग्ध व्ययः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1 व 2) के अनुसार पंचायत निधियों से किए गए प्रत्येक व्यय हेतु जो वाउचर तैयार किया जाएगा उसमें विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता के बिल को सब–वाउचर के रूप में लगाया जाएगा। ग्राम पंचायत, जेजवीं के अंकेक्षणावधि के चयनित माह तथा अन्य प्रस्तुत अभिलेख की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि रोकड़ बहियों में दर्ज ₹6,94,345 के व्यय के विरूद्ध विक्रेता अथवा आपूर्तीकर्ता के उचित आपूर्ती बिल उपलब्ध नहीं थे जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

क्र•	दिनांक	रो. ब. पृष्ठ	विवरण	राशि (₹)
	पंचायत निधि खाता 'क व ख' रोकड़ बहीः–			
1	10.7.2015	06	रेत, बजरी व पत्थर	15000
2	27.7.2015	07	रेत, बजरी व पत्थर	19000
3	31.7.2015	07	रेत, बजरी व पत्थर	18400
4	13.5.2016	43	रेत, बजरी व पत्थर	40000
5	13.5.2016	43	रेत, बजरी व पत्थर	40000
6	30.5.2016	43	रेत, बजरी व पत्थर	45000
7	30.5.2016	43	रेत, बजरी	35400
8	3.4.2017	73	रेत, बजरी	20000
9	3.4.2017	73	रेत, बजरी	20000
10	3.4.2017	73	रेत, बजरी	20000
11	5.4.2017	73	रेत, बजरी	25000
12	5.4.2017	73	रेत, बजरी	25000
13	5.4.2017	73	रेत, बजरी	25000
14	19.4.2017	75	रेत, बजरी व ईंटों की ढुलाई	24000
15	24.4.2017	76	रेत, बजरी	25000
16	29.4.2017	78	पत्थर	15585
17	29.4.2017	78	रेत, बजरी व पत्थर	10000
18	29.4.2017	79	रेत, बजरी	40000
19	24.07.2017	99	रेत, बजरी व पत्थर	42615
20	24.07.2017	99	रेत, बजरी व पत्थर	35345
21	21.08.2017	108	रेत, बजरी	10000

22	23.10.2017	115	रेत, बजरी व पत्थर	50000
23	23.10.2017	115	रेत, बजरी व पत्थर	15000
24	23.10.2017	115	रेत, बजरी व पत्थर	25000
25	23.11.2017	119	रेत, बजरी व पत्थर	25000
26	08.01.2018	130	रेत, बजरी	29000
			कुल योग	**₹694345**

इन प्रकरणों में पंचायत द्वारा एक मुद्रित प्रोफॉर्मा जैसा कि आमतौर पर अन्य सरकारी विभागों द्वारा आपूर्तीकर्ता के बिल के साथ विभागीय प्रयोग हेतु आवरण वाउचर (covering voucher proforma) के रूप में प्रयोग किया जाता है, अथवा कम्पयूटर पर टाइप किए अथवा हस्तलिखित बिल/प्रार्थना पत्र पर ही बड़ी बड़ी राशियों का भुगतान करते हुए आपूर्तीकर्ता की रसीद दर्शाई गई है और पंचायत सचिव तथा पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया गया है। आपूर्तीकर्ता के उचित बिल तथा रसीद के अभाव में यह व्यय उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2018/–100 दिनांकः 05/05/2018 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसका उत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ था। अतः अब इन प्रकरणों तथा इनके जैसे अन्य प्रकरणों की पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सक्षम उच्च प्राधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति से इस व्यय को नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु इस कार्यप्रणाली को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

17. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹5.64 लाख के स्टाक/स्टोर का क्रय करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। ग्राम पंचायत के व्यय वाउचरों की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹5,64,074 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं अर्थात निविदाऐं आमन्त्रित किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र•	दिनांक	रो. ब. पृष्ठ	विवरण	राशि (₹)
	पंचायत निधि खाता 'क व ख' रोकड़ बहीः–			
1	17.6.2015	4	दरवाजें	10000
2	17.6.2015	4	स्टील	4165
3	06.08.2015	9	दरवाजें	15000
4	06.08.2015	9	दरवाजें	15000
5	26.10.2015	18	स्टील	33700
6	22.3.2016	31	सरिया	12000
7	22.4.2016	40	स्टेशनरी	7728
8	27.4.2016	40	पेन्टिग कार्य	10700
9	12.7.2016	46	फलोर मैट	40163
10	19.4.2017	75	पेन्टिग कार्य	13350
11	19.4.2017	75	साईन बोर्ड	21000
12	19.4.2017	75	टैन्ट	6000
13	19.4.2017	75	टैन्ट	6000
14	21.4.2017	76	पानी की टैकीं	6045
15	25.4.2017	77	रिचार्ज	10686
16	29.4.2017	78	बर्तन	7831
17	09.05.2017	80	दरवाजें	9000
18	19.05.2017	82	पेन्टिग कार्य	8190
19	02.06.2017	87	ईंटें	21000
20	02.06.2017	87	सरिया	19000
21	02.06.2017	87	ईंटें	11000
22	07.12.2017	122	रेत, बजरी	24000
23	07.12.2017	122	रेत, बजरी	24000
24	07.12.2017	122	रेत, बजरी	24000
25	07.12.2017	122	रेत, बजरी	24000
26	07.12.2017	122	सरिया	26516
27	03.01.2018	129	रेत, पत्थर	25000
28	03.01.2018	129	रेत, पत्थर	20000

29	03.01.2018	129	रेत, पत्थर	19000
30	03.01.2018	130	रेत, पत्थर	23000
31	08.01.2018	130	रेत, पत्थर	21000
32	08.01.2018	130	रेत, पत्थर	10000
33	26.03.2018	141	रेत, बजरी	36000
			कुल योग	**₹564074**

उपरोक्त के अतिरिक्त भी भण्डार के लिए की गई अन्य खरीद के अधिकतर प्रकरणों में जिनका मूल्य ₹3000 से अधिक है को निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं के बिना ही किया गया है। उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव़ से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2018/–100 दिनांकः 05/05/2018 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसका उत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ था। अतः स्टाक/स्टोर का क्रय उपरोक्त सन्दर्भित नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टाक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18. रोकड़ बही से सीमेन्ट जारी करनाः–

पंचायत के लेखाओं की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए खरीदे गए सीमेन्ट को एम• ए• एस• (मैटीरियल ऐट साइट) रजिस्टर/सीमेंट स्टॉक रजिस्टर से सम्बन्धित कार्य को जारी करने के स्थान पर इसे पुनः रोकड़ बही की आय में लेखांकित करते हुए व्यय की तरफ से जारी करने की प्रविष्टियां की गई हैं। रोकड़ बहियों की चयनित माह हेतु जांच में पाए गए कुछ प्रकरण नीचे दी गई तालिका में उद्धृत्त किए गए हैं। सीमेन्ट के लेखांकन किन नियमों अथवा किन आदेशों से अपनाया गया है, इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र•	**रो.ब.पृ. पंचायत निधि खाता 'ख'ः–**	**दिनांक**	**बोरियां**	**प्रति बोरी मूल्य**	**कुल लागत**
1	05	01.07.15	136	238.43	32426.00
2	24	02.01.16	35	238.43	8345.00
3	24	02.01.16	134	238.43	31949.00
4	67	16.03.17	360	246.44	88718.00
5	68	22.03.17	360	246.44	88718.00
6	70	22.03.17	200	246.44	49288.00

7	91	24.06.17	400	246.44	98576.00
8	101	26.07.17	480	247.94	119010.00
9	124	12.12.17	210	260.00	54600.00
10	130	08.01.18	100	260.00	26000.00
11	131	11.01.18	240	260.00	62400.00
12	132	13.01.18	13	260.00	5200.00
				कुल योगः	**₹665230.00**

19. प्राप्त अनुदान के लिए रसीदें जारी न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (1 से 3) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय/अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गए प्रारूप–3 में रसीद जारी करनी आवश्यक है। परन्तु ग्राम पंचायत के लेखाओं की जांच में पाया गया कि अंकेक्षणावधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों विषेशतः आर• टी• जी• एस•/ऑलाइन बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की गई है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20. जारी प्रमाण पत्रों के शुल्क की वसूली न करना तथा सम्बन्धित अभिलेख का अनुरक्षण/संकलन न करनाः–

पंचायत कार्यालय विवाह, जन्म व मृत्यु, परिवार, राशन कार्ड इत्यादि के लिए पंजीकरण कार्यालय के रूप में भी कार्य करता है तथा हि•प्र• पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 100 के प्रावधानों के अनुसार इनके पंजीकरण के समय पंजीकरण शुल्क तथा सम्बन्धित प्रमाण पत्र जारी करते समय प्रमाणपत्र शुल्क वसूल किया जाना अपेक्षित है जो कि पंचायत की आय का एक प्रमुख स्त्रोत है। पंचायत अभिलेख की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा इस मद में किसी प्रकार के शुल्क की वसूली नहीं की जा रही है। अतः इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त भविष्य हेतु सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21. मांग व प्राप्ति रजिस्टर का अनुरक्षरण न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 77(4) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को फॉर्म 10 में पंचायत की वर्ष के दौरान संभावित समस्त आय के लिए मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव करना होगा। परन्तु ग्राम पंचायत जेजवीं में इस प्रावधान की अवहेलना करते हुए इस रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया

गया है अथवा अंकेक्षण के दौरान अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार मांग व प्राप्ति रजिस्टर का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

22. मस्ट्रौल को जारी करने तथा उसके अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवहेलनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 102 (1 से 7) के प्रावधानों के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी द्वारा मुद्रित तथा प्रमाणित मस्ट्रौल ही पंचायत सचिव द्वारा सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी को किसी विकास/निर्माण कार्य में मजदूरों की हाज़िरी लगाने के लिए ''मस्ट्रौल जारी करने के रजिस्टर'' में प्रविष्टि के उपरान्त जारी किए जाएंगे। इन्ही नियमों में प्रावधित है कि इन मस्ट्रौल का अभिलेखन व अनुरक्षण हि• प्र• लोक निर्माण विभाग की कार्यपद्धति के आधार पर किया जाएगा। परन्तु ग्राम पंचायत, जेजवीं द्वारा प्रयोग तथा भुगतान किए गए मस्ट्रौलों की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि उपरोक्त नियमों की अनुपालना आंशिक रूप में ही की गई है तथा मुख्य रूप से इन मस्ट्रौलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैंः–

1. मस्ट्रौल के भाग–3 जिसमें मजदूरों द्वारा किए गए कार्य का विस्तृत विवरण दर्ज किया जाता है को पंचायत द्वारा खाली रखा गया है जिस कारण मस्ट्रौल में किए गए कार्य तथा उसके विरूद्ध किए गए भुगतान को तकनीकी प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उदाहरण हेतु अंकेक्षण जांच में पंचायत निधि खाता ''ख'' में दर्ज/भुगतान किए गए मस्ट्रौल तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किए गए थेः–

क्र	दिनांक	मस्ट्रौल क्रमांक	रो. ब. पृष्ठ	राशि (₹)
1	31.7.2015	16668	7	31000
2	31.7.2015	16669	7	21600
3	06.04.2017	16690	74	5900
4	19.04.2017	16687	75	26000
5	29.04.2017	16688	78	10420
6	02.05.2017	16689	80	9820
7	23.5.2017	16691	83	17630
8	30.5.2017	16692	85	26840
9	08.07.2017	16701	96	33262
10	08.07.2017	16702	96	37600
11	24.07.2017	16704	98	44924

12	24.07.2017	16706	98	32840
13	21.8.2017	16710	107	29472
14	06.09.2017	16711	109	34998
15	06.09.2017	16712	109	38682

2. प्रयोग किए गए मस्ट्रौलों में मात्र कार्य का शीर्षक दर्ज किया गया है। मस्ट्रौल पर रखे गए मज़दूरों से सम्बन्धित विकास/निर्माण कार्य में क्या अथवा किस प्रकार का काम करवाया गया है का विस्तृत विवरण सम्बन्धित कॉलम में दर्ज नहीं किया गया है।

3. मनरेगा के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं के अन्तर्गत निष्पादित निर्माण कार्यों के मस्ट्रौल को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा न तो किए गए कार्य के लिए तकनीकी आधार पर सत्यापित नहीं किया गया है जिस कारण से भुगतान की गई राशि को किए गए कार्य की प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित नहीं किया जा सका।

4. मस्ट्रौल में एक–दो को छोड़कर लगभग सभी प्रावधित कॉलम खाली छोड़ दिए गए हैं।

इस प्रकार से प्रावधित नियमों की अवहेलना तथा अनियमित भुगतान करना एक अति गम्भीर अनियमितता है जिसके बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इसे सुधारात्मक कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23. मनरेगा अभिलेख का अपूर्ण पाया जानाः–

पंचायत सचिव़ तथा ग्राम रोजगार सहायक द्वारा मनरेगा परियोजना से सम्बन्धित प्रस्तुत सूचना व अभिलेख की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख का निरन्तर अद्यतन (Update) नहीं किया जा रहा है। मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैंः–

1. **अधूरे रोजगार कार्डः–** रोजगार कार्ड अधूरे पाए गए हैं जिनमें कार्डधारक को उपलब्ध करवाए गए रोजगार के सन्दर्भ में नियमानुसार निर्धारित कॉलम में प्रविष्टियां नहीं की गई हैं।

2. संलग्न **परिशिष्ट '3'** पर दर्ज टिप्पणी के अनुसार मनरेगा के अन्तर्गत मांगे गए रोजगार आवेदनों का सम्पूर्ण अभिलेख पंचायत द्वारा नहीं रखा गया है। यह अभिलेख मनरेगा अधिनियम के अधीन तथा योजना के अन्तर्गत किए जा रहे व्यय में पारदर्शिता हेतु रखा जाना अति आवश्यक है। परन्तु इस मूल अभिलेख के अभाव में अंकेक्षणावधि के तीन वर्षों के दौरान किया गया ₹3,69,70,371 का समस्त व्यय तथा **परिशिष्ट ''3''** के अनुसार 135608 दिनों के लिए दिए गए रोजगार की सारी प्रक्रिया संशयपूर्ण हो जाती है।

3. **सम्पत्ति रजिस्टर का न रखा जानाः–** हिमाचल प्रदेश सरकार, ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक एस एम एस –1/2016–16–आर डी (पी आर सी) दिनांक 13–05–2016 तथा इससे पूर्व में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत मनरेगा के अन्तर्गत करवाए गए

विकास/निर्माण कार्यों का विवरण पंचायत के सम्पत्ति रजिस्टर में रखा जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इन प्रावधानों की अवहेलना करते हुए सम्पत्ति रजिस्टर का पूर्ण अनुरक्षण करने के स्थान पर मात्र मनरेगा योजना के अन्तर्गत करवाए गए कार्यों का ही आधा अधूरा अभिलेखन किया गया है।

मनरेगा अभिलेख में उपरोक्त त्रुटियों का पाया जाना एक अति गम्भीर अनियमितता है तथा यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही एवं दिशानिर्देशों हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस अभिलेख का पूर्ण अद्यतन (Updation) करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

24. निर्माण कार्य के निष्पादन में गलत मूल्यांकन (Assessment) करके किया गया ₹0.77 लाख का अधिक व अनियमित भुगतानः–

अंकेक्षणावधि के दौरान निष्पादित निर्माण कार्यों की अंकेक्षण जांच के दौरान पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार किए गए कार्य के लिए मापन पुस्तिका में दर्ज मूल्यांकन गलत किए जाने के कारण निम्न वर्णित निर्माण/विकास कार्यों में ₹76547 का अनियमित तथा अधिक भुगतान किया गया हैः–

क्र	कार्य	मापन पुस्तिका	पृष्ठ	मूल्यांकन (₹)	भुगतान (₹)	आधिक्य (₹)
1	भूमि सुधार किशोरी लाल	7953	10,12	93545	103338	9793
2	सम्पर्क मार्ग निर्माण लछमन के घर से रहम के घर तक	7960	23 से 23	126402	154832	28430
3	बावड़ी मुरम्मत जब्बली में	7960	32,33	91023	100810	9787
4	सम्पर्क मार्ग निर्माण तृप्ता के घर से पानी की टंकी बेसरू तक	8589	45 से 47	103723	132260	28537
					कुल योग	**₹76547**

अतः उपरोक्त अधिक व अनुचित भुगतान बारे तथ्यपरक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए अथवा अधिक किए गए भुगतान की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ती सुनिश्चित करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

25. निर्माण कार्यों के निष्पादन में ₹0.15 लाख के मूल्य की निर्माण सामग्री की मानक प्रमात्रा से अधिक खपत करनाः–

अंकेक्षणावधि के दौरान निष्पादित निर्माण कार्यों के बिलों की माप पुस्तिकाओं की अंकेक्षण जांच के दौरान पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार

₹14,883 के मूल्य की निर्माण सामग्री की मानक प्रमात्रा से अधिक खपत तथा भुगतान किया गया है:–

1. कार्य का नामः– टैंक निर्माण जगतपाल डरोह

मापन पुस्तिका क्रमांकः– 5486, पृष्ठ 41–42

मद का नाम	**निष्पादित मात्रा**	**सीमेन्ट (बोरी)**	**रेत**	**बजरी**
1:4:8 सीमेंट कंक्रीट की मानक प्रमात्रा	2.47 मी^{3}	8.4	1.16	2.20
1:1.5:3 सीमेंट कंक्रीट की मानक प्रमात्रा	9.61 मी^{3}	76.9	4.32	8.65
1:3 सीमेंट मोर्टार पलास्टर	33.90 मी^{2}	4.68	0.49	––
कुल मानक खपत		89.98	5.97	10.85
वास्तविक खपतः–		100	5.85	10.35
अधिक खपतः–		10	––	––
लागत मूल्य दर (₹)		189	––	––
अधिक भुगतानः–		**1890**	––	––
(क) इस कार्य में कुल अधिक भुगतानः				**1890**

2. **कार्य का नामः–** संपर्क मार्ग निर्माण व डन्गा लछमण राम के घर से रहम के घर तक

मापन पुस्तिका क्रमांकः– 7960 पृष्ठ 20 से 23

1:6:12 सीमेंट कंक्रीट की मानक प्रमात्रा	1.70 मी^{3}	3.74	0.80	1.51
1:6 सीमेंट मोर्टार आर. आर. मैस्नरी	35.61 मी^{3}	58.76	12.46	––
कुल मानक खपत		62.50 या 63	13.26	1.51
वास्तविक खपतः–		75	17.22	3.51
अधिक खपतः–		12	3.96	2.00
लागत मूल्य दर		238.40	1700	1700
अधिक भुगतानः–		**2860.80**	**6732**	**3400**
(ख) इस कार्य में कुल अधिक भुगतानः 2861+6732+3400				**12993**
कुल अधिक भुगतानः– (क+ख) (1890+12993)				**14883.00**

उपरोक्त प्रकरण की विभागीय स्तर पर जांच करके तथ्यपूरक वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अथवा उचित स्त्रोत से अधिक किए गए भुगतान/खपत की प्रतिपूर्ती सुनिश्चित करके अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

26. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियांः–

पंचायत सचिव़ द्वारा प्रस्तुत निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों तथा निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अन्य अभिलेख की अंकेक्षण जांच उपरान्त निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैंः–

1. ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक एक अनुभागी/संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के **''परिशिष्ट – ई''** में दिए गए ''अनुबन्ध'' प्रारूप के अनुसार अनुबन्ध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है।

2. इन बिलों में किए गए कार्य की प्रमात्रा तथा खरीदी गई सामग्री का सत्यापन तकनीकी सहायक अथवा किसी भी अन्य जिम्मेदार पंचायत पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया है। जिस कारण किए गए भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों में कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा किए गए कार्य का तकनीकी विवरण भी दर्ज नहीं किया गया है।

3. हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 103(4) की अनुपालना में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कोई भी लेखे तथा अभिलेख हि• प्र• लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं जिस कारण पंचायत द्वारा किए अथवा करवाए गए निर्माण कार्यों की अंकेक्षण जांच में दिक्कतें आई हैं। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4. हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) तथा 105 में पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए निरीक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों के अनुसार किए गए कार्यों की जांच सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा की जानी

अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख में ऐसी किसी भी जांच के प्रमाण अथवा प्रमाणपत्र नहीं पाए गए हैं। यह स्पष्टतयः सिद्ध करता है कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों की अवहेलना की जा रही है तथा इस कार्यप्रणाली में संदिग्धता दिखाई देती है। इस प्रकार नियमों की अवहेलना के सन्दर्भ में तथ्यपूरक स्पष्टीकरण सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त अब तक इस प्रकार से नियमविरूद्ध किए गए अनियमित निर्माण कार्यों को सक्षम उच्चाधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाए।

5. निर्माण कार्यों में उपयोग की गई सामग्री के लिए ''निर्माण सामग्री उपभोग विवरणी'' तैयार नहीं की गई हैं। यह विवरणी नियमानुसार कार्य प्रमात्रा के आधार पर आवश्यक सामग्री तथा वास्तविक उपभोग की गई सामग्री की जांच हेतु अति आवश्यक है। इसके अभाव में निर्माण कार्यों के बिलों की अंकेक्षण जाँच में दिक्कत आई है तथा समय की अनावश्यक बर्बादी हुई है। अतः इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाए तथा वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27. क्रय की गई सामग्री के लेखांकन हेतु स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव नियमानुसार न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अध्याय 8 के नियम 66 से 73 तक में पंचायत द्वारा खरीदे गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में प्रावधित नियमों तथा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-consumable) सामान के रूप में अलग–अलग रजिस्टरों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक मद की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तीकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण रजिस्टरों में लिखा जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत जेजवीं द्वारा स्टॉक रजिस्टरों का अनुरक्षण तो किया गया है परन्तु इनमें उपरोक्त नियमानुसार पूर्ण जानकारी दर्ज नहीं की गई है। स्थाई सामग्री के स्टॉक रजिस्टर में भी वस्तु के मूल्य, आपूर्तीकर्ता तथा उसके बिल व वारँटी इत्यादि को दर्ज नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु खरीदी गई सामग्री का लेखांकन करते समय हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अध्याय 11 के प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया है।

28. प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नही किया गया है जिस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

29. विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करनाः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों के रजिस्टर का रख रखाव अधूरा तथा नियमानुसार नहीं किया गया है।	––	103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	15(1)
5	वर्गीकृत सार	8	29(4)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	चौकीदार को जारी की जाने वाली वर्दी का रजिस्टर	––	––

अतः इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

30. **लघु आपति विवरणिका :–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

31. **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। यह प्रकरण पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओं का रख रखाव नियमयनुसार करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(xii) 29/2018 खण्ड–1–4995–4998 दिनांक 25.07.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत जेजवीं, विकास खण्ड झण्डुता, तहसील झण्डुता, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 कुसुम्पटी, शिमला 171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर जिला बिलासपुर, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड झण्डुता, तहसील झण्डुता, जिला बिलासपुर हि0प्र0।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046